(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application).

13. : **Group 'C' Departmental Promotion Committee (in the case of promotion and confirmation), consisting of :—**

1. Head of Office, National Museum of Natural History	—Chairman
2. Scientist-'D', National Museum of Natural History	—Member
3. Administrative Officer, National Museum of Natural History	—Member
4. Under Secretary, Ministry of Environment & Forests	—Member

14. Not Applicable

[No. 8(20)/2000-EE(M)]

N. V. REDDY, Dy. Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2003

सा. का. नि. 337.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय, नागरिक पूर्ति विभाग, निदेशक (सहकारिता), सहायक निदेशक (सहकारिता) और ज्येष्ठ तकनीकी सहायक भर्ती नियम, 1984 को, जहां तक उनका संबंध निदेशक (सहकारिता) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने से लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) में निदेशक (सहकारिता) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले विभाग [निदेशक (सहकारिता)] भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**— उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के ान अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियमो के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो ा हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, ा द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय (द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व

कों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	: **निदेशक (सहकारिता)**
पदों की संख्या	: 1* (2003) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)
वर्गीकरण	: साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', (राजपत्रित) (अननुसचिवीय)
वेतनमान	: 12000-375-16500/- रु.
चयन अथवा अचयन पद	: चयन
सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	: **लागू नहीं होता**
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	: **लागू नहीं होता**
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए **अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**	: लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	: **लागू नहीं होता**
परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	: **लागू नहीं होता**
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	: प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	: **प्रोन्नति—ऐसा उप निदेशक (सहकारिता) जिसने 10,000-15,200 रुपए के वेतनमान में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।** **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा **पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे** से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्व पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :—केन्द्रीय सरकार/राज्य** सरकारों/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/अर्ध सरकारी/कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी,— (क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, **या** (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 10,000-15,200 रुपए या समतुल्य वेतनमान में

	नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या समतुल्य ; (ii) सहकारिता, नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता संगठनों या सहकारिता संगठन के क्षेत्र में पर्यवेक्षीय हैसियत में सात वर्ष का अनुभव। (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे)। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।
13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति) के संबंध में विचार करने के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ आर्थिक सलाहकार या उपभोक्ता मामले विभाग में समतुल्य पंक्ति का अधिकारी—सदस्य 3. अपर/संयुक्त सचिव (प्रशा.), उपभोक्ता मामले विभाग—सदस्य
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12011/4/2001-प्रशा.]

एस. के. नायक, अवर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

New Delhi, the 12th September, 2003

G. S. R. 337.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Food and Civil Supplies, Department of Civil Supplies Director (Cooperation), Deputy Director (Cooperation), Assistant Director (Cooperation), and Senior Technical Assistant Recruitment Rules, 1984, in so far as they relate to the post of Director (Cooperation), except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director (Cooperation) in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), namely :—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Department of Consumer Affairs [Director (Cooperation)] Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.** :—The method of recruitment, to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. Name of the post	:	Director (Cooperation)
2. Number of post	:	1* (2003) *Subject to variation dependent on workload.
3. Classification	:	General Central Service, Group 'A', Gazetted Non-Ministerial
4. Scale of pay	:	Rs. 12000-375-16500
5. Whether selection or non-selection post	:	Selection
6. Age limit of direct recruits	:	Not applicable
7. Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	:	Not applicable
8. Educational and other qualifications required for direct recruits.	:	Not applicable
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	:	Not applicable
10. Period of probation, if any	:	Not applicable
11. Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post filled by various methods	:	Promotion failing which by deputation (including short-term contract)
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	:	Promotion : Deputy Director (Cooperation) in the scale of pay of Rs. 10000-15200 with five years regular service in the grade. **NOTE :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

		Deputation (including short term contract) : Officers under the Central/State Governments/Public Sector Undertakings/Semi-Governments/Statutory or Autonomous Organisations :— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment there to on a regular basis in the scale of pay of Rs. 10000-15200 or equivalent in the parent cadre/Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience ;— (i) Master's Degree of a recognized university or equivalent; (ii) Seven years experience in a supervisory capacity in the field of Cooperation, Civil Supplies, Consumer Organizations or Co-operative Organisation. The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration of appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government, shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.
13. If a Departmental Promition Committee exists what is its composition	:	Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering Promotion) consisting of:— 1. Chairman/Member Union Public Service Commission—Chairman 2. Senior Economic Adviser or Officer of equivalent ranks in the Department of Consumer Affairs—Member 3. Additional/Joint Secretary (Admn.) Department of Consume Affairs—Member
14. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	:	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation including on short term contract.

[F. No. A-12011/4/2001-Estt.]

S. K. NAYAK, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 21] नई दिल्ली, मई 15—मई 21, 2011, शनिवार/वैशाख 25—वैशाख 31, 1933

No. 21] NEW DELHI, MAY 15—MAY 21, 2011, SATURDAY/VAISAKHA 25—VAISAKHA 31, 1933

Dir.(Grp.), DD(Grp)
AO (Grp)
Pages 621-622

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2010

सा.का.नि. 151.—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियमावली, 2010 कहलाएंगे ।

(2) ये नियम जनवरी, 2011 की प्रथम तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 में, नियम 9, उप-नियम (2) में, दिनांक "31 दिसम्बर, 2010" के स्थान पर दिनांक "31 दिसम्बर, 2013" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

117 9

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 16 मई, 2011

सा.का.नि. 157.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) उपनिदेशक (सहकारिता), सहायक निदेशक (सहकारिता) और ज्येष्ठ तकनीकी सहायक श्रेणी-II भर्ती नियम, 2005 जो भारत के रापजत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 17 सितंबर, 2005 में सा.का.नि. संख्यांक 318 तारीख 31 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था, **में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—**

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, उपनिदेशक (सहकारिता), सहायक निदेशक (सहकारिता) (संशोधन) भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उपभोक्ता मामले विभांग [उपनिदेशक (सहकारिता), सहायक निदेशक (सहकारिता)] भर्ती नियम, 2005 की अनुसूची में निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1) क्रमसंख्यांक 1 के सामने, उपनिदेशक (सहकारिता) के पद से संबंधित स्तंभ 4 में,

(i) शीर्षक के स्थान पर "वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान" शीर्षक रखा जाएगा।

(ii) प्रविष्टि के स्थान पर "15600-39100 रु. (वे.बै.-3) धन ग्रेड वेतन 6600" प्रविष्टि रखी जाएगी।

(2) क्रमसंख्यांक 2 के सामने, सहायक निदेशक (सहकारिता) के पद से संबंधित स्तंभ 4 में,

(i) शीर्षके के स्थान पर "वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान" शीर्षक रखा जाएगा।

(ii) प्रविष्टि के स्थान पर "15600-39100 रु. (वे.बै.-3) धन ग्रेड वेतन 5400 रु." प्रविष्टि रखी जाएगी।

(3) क्रमसंख्यांक 1 के सामने, उपनिदेशक (सहकारिता) के पद से संबंधित स्तंभ 12 में,

(i) शब्द अक्षर और अंक "8000-13500 रुपये के वेतनमान में" जहां जहां वे आते हैं, के स्थान पर वेतनबैंड-3, 15600-39100 रु. (वे.बैं.-3) धन ग्रेड वेतन 5400 रु." शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

(4) क्रमसंख्यांक 2 के सामने, सहायक निदेशक (सहकारिता) के पद से संबंधित स्तंभ 12 में,

(ii) "6500-10500 रु. और 5500-9000 रु. के वेतन में" शब्द अंक और अक्षर जहां जहां वे आते हैं, के स्थान पर "वेतनबैंड 9300-34800 (वे.बैं.-2) धन ग्रेड वेतन 4600 रु." और वेतन बैंड 9300-34800 रु. (वे.बैं.-2) धन ग्रेड वेतन 4200 रु." रु. शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[फा. सं. ए-12011/4/2001-स्था.]

ओम प्रकाश, उप सचिव

पाद टिप्पण—मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 17 सितंबर, 2005 में सा.का.नि. संख्यांक 318 तारीख 31 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गए।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

New Delhi, the 16th May, 2011

G.S.R. 157.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, Deputy Director (Co-operation), Assistant Director (Co-operation) and Senior Technical Assistant Grade-II Recruitment Rules, 2005 published in the Gazette of India dated the 17th September, 2005, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide G.S.R. number 318 dated the 31st August, 2005, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs [Deputy Director (Co-operation) and Assistant Director (Co-operation)] Amendment Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Consumer Affairs [Deputy Director (Co-operation) and Assistant Director (Co-operation)] Recruitment Rules, 2005, the following shall be substituted, namely :—

(1) Against serial number 1, relating to the post of Deputy Director (Co-operation), in column 4,

(i) for the heading, the heading "Pay Band and Grade Pay/Pay Scale" shall be substituted;

(ii) for the entry, the entry "Rs.15600-39100 (PB-3) plus Grade Pay of Rs.6600" shall be substituted.

(2) Against serial number 2, relating to the post of Assistant Director (Co-operation), in column 4,

(i) for the heading, the heading "Pay Band and Grade Pay/Pay Scale" shall be substituted;

(ii) for the entry, the entry "Rs.15600-39100 (PB-3) plus Grade Pay of Rs.5400" shall be substituted.

(3) Against serial number 1, relating to the post of Deputy Director (Co- operation), in column 12,

(i) for the words letters and figures "in the Pay Scale of Rs. 8000—13500", wherever they occur, the words and figures "Pay Band of Rs.15600—39100 (PB-3) plus Grade Pay of Rs. 5400", shall be substituted.

(4) Against serial number 2, relating to the post of Assistant Director (Co-operation), in column 12,

(ii) for the words letters and figures "in the Pay Scale of Rs.6500—10500 and Rs. 5500—9000", wherever they occur, the words and figures "Pay Band of Rs. 9300—34800 (PB-2) plus Grade Pay of Rs. 4600" and "Pay Band of Rs. 9300—34800 (PB-2) plus Grade Pay of Rs. 4200", shall be substituted.

[F. No. A-12011/4/2001-Estt.]

OM PRAKASH, Dy. Secy.

Foot Note: The principal rules were published in the Gazette of India dated 17th September, 2005, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. number 318, dated the 31st August, 2005.

नई दिल्ली, 16 मई, 2011

सा.का.नि. 158.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता मामले, [निदेशक (सहकारिता)] भर्ती नियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, विभाग [निदेशक (सहकारिता)] भर्ती (संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. उपभोक्ता मामले विभाग [निदेशक (सहकारिता)] भर्ती नियम, 2003 की अनुसूची में,—

(i) क्रम संख्यांक 4 और उसकी प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

4. "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान : वेतनबैंड-3, 15600—39100 धन ग्रेड वेतन 7600 रु."

(ii) क्रम संख्यांक 12 के सामने, प्रोन्नति शीर्षक के अधीन और प्रतिनियुक्ति शीर्षक के अधीन 12 (क) (ii) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

12. प्रोन्नति :

"15600—39100 रुपए के वेतन बैंड-3 और 6600 रु. के ग्रेड वेतन में ऐसे उपनिदेशक (सहकारिता) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।"

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :

(क) (ii) जिन्होंने मूल काडर विभाग में 15600—39100 रुपए के वेतन बैंड 3 और 6600 रुपये ग्रेड वेतन या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और

[फा. सं. ए-12011/4/2001-स्था.]

ओम प्रकाश, उप सचिव

पाद टिप्पण—मूल नियम, 20 सितंबर, 2003 को भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 337 तारीख, 12 सितंबर, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए ।

New Delhi, the 16th May, 2011

G.S.R. 158.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Consumer Affairs [Director (Co-operation)] Recruitment Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the Department of Consumer Affairs [(Director (Cooperation)] Recruitment (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Consumer Affairs [Director (Co-operation)] Recruitment Rules, 2003,—

(i) For serial number 4 and entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :—

4. "Pay Band and Grade Pay or Pay Scale : Pay Band-3, Rs. 15600—39100 plus Grade Pay of Rs.7600".

(ii) Against serial number 12 under heading of promotion and 12 (a) (ii) under heading of deputation, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

12. **Promotion :**

"Deputy Director (Co-operation) in the Pay Band-3 of Rs.15600—39100 plus Grade Pay of Rs. 6600 with five years regular service in the grade".

Deputation (including short-term contract):

(a) (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-3 of Rs.15600—39100 plus Grade Pay of Rs. 6600 or equivalent in the parent cadre/Department; and

[F. No. A-12011/4/2001-Estt.]

OM PRAKASH, Dy. Secy.

Foot Note: The principal rules were published in the Gazette of India dated the 20th September, 2003 *vide* number G.S.R. 337, dated the 12th September, 2003.